



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215247
CG-DL-E-09012020-215247
XXXXGIDEXXX

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941

No. 10]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 12(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 53 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'53 क. छूट.- नियम 53 में किसी बात के होते हुए भी लागू नहीं होगा,-

क. किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वैकल्पिक निवेश निधि या म्युचुअल फंड के रूप में स्थापित इकाई पर निवेशकों से निवेश योग्य निधियों का कोई अन्तर्वाह, ऐसी निवेश योग्य निधियों से किए गए किसी निवेश पर मूल विवरणी सहित और उन पर प्राप्त रिटर्न और मूल निवेश सहित ऐसे निवेशों से निवेशकों को संदत्त कोई विवरणी:

परंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बैकल्पिक निवेश निधि या म्युचुअल फंड के रूप में स्थापित की जा रही यूनिट के निवल विदेशी विनिमय का निर्धारण निधि प्रबंधक निकाय के निवल विदेशी विनिमय के साथ संयोजन में उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक बैकल्पिक निवेश निधि या म्युचुअल फंड की निवेश योग्य निधियों का प्रबंधन ऐसे निधि प्रबंधक निकाय द्वारा किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "बैकल्पिक निवेश निधि" का अर्थ वही होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 में समनुदेशित किया गया है।

(ख) 'म्युचुअल फंड' का अर्थ वही होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1996 में समनुदेशित किया गया है।

ख. किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय के रूप में स्थापित की जा रही यूनिट पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण {अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय (आईआईओ) का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन} मार्गदर्शन, 2017 के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन व्यय के लिए नियत अधिकतम दर के भीतर प्रबंधन व्ययों के लिए प्रतिधारित राशि से अधिक प्रीमियम आय के भाग का विस्तार के लिए, प्रीमियम आय के उक्त भाग से किए गए निवेश और उन पर रिटर्न तथा बीमा या पुनर्बीमा दावों के लिए कोई प्रदत्त राशि के साथ मूल विवरणी।'।

[फा. सं. डी. 12/25/2009-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि 940 (अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Special Economic Zones (4th Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, after rule 53, following rule shall be inserted, namely:—

'53A. *Exemption.*- Nothing contained in rule 53 shall apply,-

a. to a Unit in an International Financial Service Centre set up as Alternate Investment Fund or Mutual Fund to the extent of any inflow of investible funds from investors, any investments made from such investible funds and returns on them inclusive of principal return and any return paid to investors

from such investments including the original investment:

Provided that the net foreign exchange of a Unit in an International Financial Service Centre set up as Alternate Investment Fund or Mutual Fund shall be determined in combination with the net foreign exchange of the Fund Manager entity to the extent the investible funds of the Alternate Investment Fund or Mutual Fund is being managed by such Fund Manager entity.

Explanation: For the purposes of this clause,-

(a) "Alternate Investment Fund" shall have the same meaning as assigned to it in the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

(b) "Mutual Fund" shall have the same meaning as assigned to it in the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;

b. to a Unit in an International Financial Service Centre set up as an International Financial Service Centre Insurance Office to the extent of the portion of premium income over and above the amount retained for management expenses within the maximum rate stipulated for expenses of management by the Insurance Regulatory and Development Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority of India {Registration and Operations of International Financial Service Centre Insurance Offices (IIO)} Guidelines, 2017, Investment made from the said portion of premium income and returns on them, inclusive of principal return and any amount paid towards insurance or reinsurance claims.'.

[F. No. D.12/25/2009-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* notification number G.S.R. 940(E), dated the 17th December, 2019.